न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—199 / 2025

प्रार्थिनी :—

कावेरी देवी पत्नी कानाराम जाति कलबी निवासी कानाना तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा
2. इन्द्रपुरी पत्नी सोहनपुरी जाति स्वामी निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. दरियाकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. मनोहरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. ममरी पत्नी मोहनराम जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. श्रीमती रसाल पत्नी मगपुरी जाति स्वामी निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. सीतादेवी पत्नी श्रवणपुरी जाति स्वामी निवासी लालाणा तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. हवादेवी पत्नी हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाण तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. शाखा प्रबन्धकस्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. श्री नेहपालसिंह व बलवन्तसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 16.01.2026

प्रार्थिनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र [illegible] अ. [illegible] धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खाते[illegible] की भूमि खसरा संख्या 199 / 76 रकबा 8.4984 हैक्टेयर भूमि ग्राम लालाणा तहसील समदड़ी में अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थिनी का नाम दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''कालीदेवी'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थिनी के समस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड में प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''कावेरी देवी दर्ज है इस प्रकार प्रार्थिनी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रार्थिनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थिनी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड,परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थिनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थिनी का वास्तविक नाम ''कावेरी देवी'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 199/76 रकबा 8.4984 हैक्टेयर ग्राम लालाणा तहसील समदड़ी में प्रार्थिनी का नाम ''कालीदेवी'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड,परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजात में प्रार्थिनी का नाम ''कावेरी देवी'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थिनी का नाम ''काली देवी ''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:33 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

ा वास्तविक नाम ''कावेरी देवी'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 199/76 रकबा 8.4984 हैक्टेयर भूमि ग्राम लालाणा तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थिनी का नाम ''काली देवी''के स्थान पर ''काली देवी उर्फ कावेरी देवी'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.09 17:43:33 IST
Reason: SelfAttested